

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तलत ADM COURT मुकाम TONK

बान बसंतीबाब बनान तहसीलदार देवली

दमा अपील नं 21 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/2025	<p>अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित है। प्रकरण समाप्त अदालत है। अपील के साथ अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र स्थगन भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्त ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार देवली ने अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलान्तस को आराजी खसरा नं. 524 रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तह. देवली पर अतिक्रमी मानकर आराजी से बेदखल करने व पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्त उक्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज नहीं है, बल्कि वर्षों से काशतकार के रूप में काबिज चले आ रहे है। अतः अपीलान्त को उक्त भूमि से किसी प्रकार बेदखल नहीं किया जावे एवं अपीलाधीन निर्णय की क्रियान्विति स्थगित रखी जावे।</p> <p>राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त उक्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है। अतः अपीलाधीन निर्णय की क्रियान्विति स्थगित नहीं की जावे।</p> <p>हमने अभिभाषक अपीलांत एवं राजकीय परोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलान्त के पक्ष में न होने से हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मिसल मय गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये जाने सम्बन्धी मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 6/1/2025 को पेश हो।</p>	322-323 30/5/2025

बहिरिपव बिधा कलेक्टर
टीक